न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

तारीख रजू 21.2.14

मु०न० 11/14

उनवान – राजकुमार बनाम पुखराज वगै०

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv० ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अत: जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी सुनवाई तिथि तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कमालपुरा स्थित भूमि ख० नं० 861/0.07, 862/0.07, 863/0.13, 864/0.13 कुल किता 4 रकबा 0.40 हैं० में प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में मजामहमत मदाखलत नहीं करे। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे सायल के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़े मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 25.3.14 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

25/3/14 प्रार्थी वकील उप० । अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया वास्ते जवाब दिनांक 6.5.14 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
6.10.15	वकुलाय उप. / अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश करने का मौका देने का निवेदन किया। न्याय हित में स्वीकार किया जाता है तथा जवाब पेश करने एक मौका और दिया जाता है वास्ते जवाब दिनांक 15.10.15 को पेश हो।
15.10.15	वकुलाय उप. / जवाब पेश किया / नकल दिलाई गई वास्ते बहस दिनांक 24.11.15 को पेश हो।
24.11.15	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश पर है। मतानुसार दिनांक 11.12.15 को पेश हो।
11.12.15	मिसल पेश हुई। बार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। मतानुसार दिनांक 17.12.15 को पेश हो।
17.12.15	वकुलाय उपस्थित / बहस सुनी गई / प्रार्थी वकील ने कथन किया कि प्र.पत्र में वर्णित भूमि के पूर्व के खातेदार ख्याली से जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र खातेदारी दर्ज हुई है जबकि गैर सायल का इस भूमि से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

Scanned by CamScanner

वकील गैरसायल ने कथन किया कि पूर्व खातेदार रूपाली ने जरिये लिखापढ़ी वही मे यह भूमि हमारे पक्ष मे विक्रय करदिया था कब्जा हमारा है इसलिए प्र०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक जमाबंदी संवत 2067-70 के खाता संख्या 6 मे वर्णित ख०नं० 861, 862, 863, 864 कुल किता 4 कुल रकबा 0.40 है० मे सायल का हिस्सा 1/6 दर्ज है जबकि गैरसायल का कोई किसी प्रकार से संबंध इस भूमि से नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 21.2.14 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। तथा गैरसायल को पाबंद किया जाता है कि ~~का~~ सायल के कब्जे काश्त की भूमि मे मजामहत मदाखलत नही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.12.15 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner